प्राधिकरण में निर्धारित तरीके से प्रजनक पर क्षतिपूर्ति/मुआवजे का दावा कर सकता है।

(च) शुल्क से छूट का अधिकार: पीपीवी और एफआर अधिनियम की धारा 44 के तहत किसानों को किसी भी प्रकार के शुल्क या अन्य भुगतानों से पूरी तरह से छूट प्राप्त होने का विशेषाधिकार है जो आमतौर पर किस्म पंजीकरण के लिए देय होते हैं। तथा विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता (Distinctiveness, Uniformity and Stability), और पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं के लिए परीक्षण, अदालतों, ट्रिब्यूनल आदि में उल्लंघन या अन्य कारणों से संबंधित कानूनी कार्यवाही के लिए शुल्क अदा करने की छूट है।

(छ) अज्ञानता में हुए उल्लंघन के प्रति सुरक्षा : अधिनियम की धारा 42 अंतर्गत दिए गए किसी अधिकार का अनजाने में हुए किसी उल्लंघन को कृषक द्वारा किया गया उल्लंघन नहीं माना जाएगा, जिसे उल्लंघन के समय ऐसे किसी प्रकार के अधिकार की जानकारी नहीं थी।

(ज) पुरस्कार एवं सम्मान का अधिकार : इसके अंतर्गत पादप अनुवांशिक संसाधनों के चयन और परिरक्षण के माध्यम से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों और उनके वन्य संबंधियों के अनुवांशिकी संसाधनों के संरक्षण, सुधार तथा परीक्षण में लगे हुए कृषकों, आदिवासियों एवं कृषक समुदायों को पुरस्कार व सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है। प्राधिकरण द्वारा व्यक्तिगत रूप से 1.50 लाख रुपये का पुरस्कार और सामूहिक रूप से 10 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाता है तथा किसानों को उनके कार्य को मान्यता प्रदान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 35 पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार भी दिया जाता है।

पंजीकरण : जिस भी किस्म का रजिस्ट्रेशन करना है उसका आवेदन पत्र उस क्षेत्र के जिला कृषि अधिकारी के पास अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात् उक्त आवेदन को उस क्षेत्र के कृषि विज्ञान केन्द्र प्रभारी फार्म पीवी–1 के माध्यम से उसे पत्राचार के लिए स्वीकृति प्रदान करता है। आवेदन के साथ कृषक से फसल के अनुसार बीज की मात्रा मंगाई जाती है जो विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व मार्गदर्शिका में दी गई मात्रा की आधी होती है। आवेदन में किस्म विशेष का कोई खास गुण तथा परम्परागत ज्ञान जो इस किस्म विशेष से सम्बन्धित हो का उल्लेख किया जाता है। बीज प्राप्त होने के पश्चात् उसे डी.यू.एस. केन्द्र (Distinctiveness, Uniformity and Stability Centre) पर परीक्षण हेतु भेज दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन और परीक्षण का कोई शुल्क किसान से नहीं लिया जाता है। डी.यू.एस. परिणाम आने के बाद चेक लिस्ट तैयार की जाती है तथा सम्बन्धित डाटा पौध किस्म जर्नल में प्रकाशित कर दिया जाता है ताकि यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह वाद दाखिल कर सके। निर्विवाद होने की स्थिति में 90 दिन के पश्चात् उस किस्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसान के नाम पर जारी कर दिया जाता है। पेटेन्ट के समकक्ष पादप किस्मों के लिए इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की मान्यता है। प्राधिकरण किसान की किस्मों का पंजीकरण कराकर उनके इस बहुमूल्य पादप अनुवांशिकी संसाधन का गलत उपयोग होने से बचाता है। प्राधिकरण जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा किसान की किस्मों का पंजीकरण, संरक्षण एवं सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी देता है। पादप अनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण कर रहे किसानों को सम्मानित किया जाता है।

पंजीकरण शुल्क : वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क विभिन्न प्रकार की किस्मों के लिए निम्नानुसार है:

किस्म का प्रकार	पंजीकरण शुल्क:
बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म	2000/– रु.
नई किस्म/अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म	व्यक्तिगत : 7000/– रु. शैक्षणिक : 10000/– रु. वाणिज्यिक : 50000/– रु.
वह विद्यमान किस्म जिसके बारे में सामान्य ज्ञान है	व्यक्तिगत : 7000/– रु. शैक्षणिक : 10000/– रु. वाणिज्यिक : 50000/– रु.
कृषक किस्म	कोई शुल्क नहीं

स्रोत : पी.पी.वी.एफ.आर.ए., कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

पंजीकरण प्रमाण पत्र : जिन आवेदनों ने सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली हो तथा जिन्हें पंजीकरण हेतु अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया हो, उन्हें पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाते हैं। जारी किए गये प्रमाणपत्र वृक्षों तथा लताओं के मामले में 9 वर्ष के लिए तथा अन्य फसलों के मामले में 6 वर्ष के लिए वैध होते है । नवीनीकरण शुल्क अदा करने पर इन्हें शेष अवधि के लिए भी पुनर्संमीक्षित या पुनर्नवीनीकृत किया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में वृक्षों और लताओं के मामले में वैधता की अवधि पंजीकरण की तिथि से 18 वर्ष, बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित किस्म की वैधता अधिसूचीकरण की तिथि से 15 वर्ष तथा अन्य मामलों में किस्म के पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

संकलन एवं संपादन

पी.के. सिंह, सन्तोष कुमार, जमालुद्दीन ए. एवं जे.एस. मिश्र

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें–

निदेशक

भा.कृ.अनु.परि.–खरपतवार अनुसंधान निदेशालय

महाराजपुर, अधारताल, जबलपुर–482004 (मध्य प्रदेश)

Phone:+91–761–2353001, 2353138, Fax:+91–761–2353129

आजादी का अमृत महोत्सव

पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण

संस्थान प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाई

ITMU (Institute Management Technology Unit)

भा.कृ.अनु.परि.–खरपतवार अनुसंधान निदेशालय

ICAR-Directorate of Weed Research

जबलपुर (मध्य प्रदेश)

Jabalpur (Madhya Pradesh)

ISO 9001: 2015 Certificate

पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण

भारत में पेड़–पौधों, जड़ी बूटियों, खाद्यान्न फसलों एवं अन्य वनस्पतियों की अनेकों प्रजातियां अपार सम्पदा के रूप में प्राचीन काल से उपस्थित रही है। किसानों द्वारा प्राचीन काल से अपनी जीविका चलाने के लिये विभिन्न किस्मों के पेड़–पौधों की खोज कर उनकी उपयोगिता का पता लगाकर इन्हें सदुपयोग में लाया गया, साथ ही साथ इनके संरक्षण की भी कोशिश की गई। किन्तु साधनों व शिक्षा के अभाव में किसानों की इस धरोहर को संजोकर रखने में अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए पेड़–पौधों की प्रजातियों का समुचित अभिलेखन नहीं हो पाया, किन्तु फिर भी हमारे देश के किसानों का इस धरोहर को संजोकर रखने में काफी बड़ा योगदान रहा है। नई–नई किस्मों के सृजन, आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण, उनमें सुधार एवं उपलब्धता बढ़ाने में वैज्ञानिकों, पादप प्रजनकों के साथ–साथ वन्य प्रजातियों अथवा परंपरागत किस्मों के संरक्षण और परिरक्षण में किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। किसानों के इसी योगदान को देखते हुए कृषकों तथा पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा एवं पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना हेतु यह आवश्यक समझा गया कि पौधों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, उनमें सुधार और उन्हें उपलब्ध कराने में किसानों द्वारा किये गये उनके योगदान को मान्यता प्रदान की जाए एवं उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। इस दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा **''पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001''** बनाया गया। इस अधिनियम में कृषकों, वैज्ञानिकों तथा पादप प्रजनकों के योगदान एवं उनके हितों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों को सुचारू रूप से लागू करने हेतु ''कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **''पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण''** (PPV & FRA) की स्थापना 11 नवम्बर 2005 को की गई। प्राधिकरण का अधिदेश उन पादप प्रजनकों, कृषकों तथा अनुसंधानकर्ताओं को बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रदान करना है जिन्होंने नई और विद्यमान किस्में विकसित की हैं। इसमें किस्म का पंजीकरण से प्रजनकों को अपनी किस्मों का पंजीकरण कराने के रूप में बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्राप्त होता है। यह एकमात्र ऐसा बौद्धिक सम्पदा अधिकार संबंधी विधान है जो दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है अर्थात् किस्म को सुरक्षा के साथ–साथ प्रजनक द्वारा उस किस्म को दिए गए नाम को भी इससे सुरक्षा प्राप्त होती है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुसार 'स्यू जेनेरिस (Sui Generis) प्रणाली' पर पौध किस्म सुरक्षा संबंधी नियम लागू किया है। यह अधिनियम खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (ITPGRAF) की मूल भावना में निहित प्रतिबद्धताओं के साथ–साथ विश्व व्यापार संगठन के व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार (TRIPS) में निर्धारित किए गए अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को पूरा करता है।

पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा "The Gazette Extraordinary part II & section 1 published by authority, New Delhi 2001" के तहत पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 को स्यू जेनेरिस प्रणाली अपनाते हुए लागू किया गया। पौध किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 किसान एवं पादक प्रजनकों कों उनकी प्रजाति का मालिकाना हक स्वीकृत करता है।

पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के उद्देश्य

- पौधों की नई किस्मों के विकास के लिये पादप आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराने तथा किसी भी स्तर पर उनके संरक्षण व सुधार में किसानों द्वारा दिए गए योगदान के सन्दर्भ में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना व उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।
- पौधों की किस्मों, कृषकों और प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा और पौधों की नई किस्म के विकास को बढ़ावा देने के लिये एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना करना।
- देश में कृषि विकास में तेजी लाना, पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा करना। पौधों की नई किस्मों के विकास के लिये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों में अनुसंधान और विकास के लिये निवेश को प्रोत्साहित करना।
- देश के बीज उद्योग की प्रगति को सुगम बनाना जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरणः अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 11 नवम्बर 2005 को ''पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना सेक्शन 3 के सब–सेक्सन (I) में की गई। यह प्राधिकरण सबसे अलग है क्योंकि यह किसानों को उनके अधिकार प्रदान करता है जिसका प्रावधान विश्व के अन्य किसी देश द्वारा नहीं किया गया है।

प्राधिकरण के कार्य

- नई पौध किस्मों, व्युत्पन्न किस्मों (Derived Variety) तथा विद्यमान किस्मों का पंजीकरण।
- नई पादप प्रजातियों के लिए विशिष्टता, एकरूपता और स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास।
- पंजीकृत किस्मों के गुणों का विकास व प्रलेखन।
- पौधों की सभी किस्मों के लिए सूची पत्रीकरण की सुविधा के साथ ही साथ कृषकों की किस्मों का प्रलेखन, सूचीकरण तथा उनका सूची पत्रीकरण।
- पहचाने गये कृषि जैव विविधता वाले आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों और उनके वन्य संबंधियों के पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार और परिरक्षण में संलग्न, विशेष रूप से जनजातीय/आदिवासी व ग्रामीण समुदायों सहित किसानों व किसानों के समुदायों को मान्यता प्रदान करना व उन्हें पुरस्कृत करना।
- पौध किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर एवं राष्ट्रीय जीन बैंक का रख रखाव।

कृषक अधिकारः भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। कृषकों के कृषि कार्य, अनुभवों एवं योगदान के आधार पर ''पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001'' में किसानों के अधिकारों का संरक्षण किया गया है जिसका अधिनियम की अनेक धाराओं में उल्लेख है, जो इस प्रकार है–

(क) कृषक किस्म का पंजीकरण एवं बीज का अधिकार (धारा 39 (1) (iii) एवं (iv): पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम, मौजूदा किसानों की किस्मों के पंजीकरण की अनुमति देता है जो विशिष्टता, एकरूपता, स्थिरता और मूल्यवर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन इसमें नवीनता शामिल नहीं है। इसके अंतर्गत कृषक अपनी किस्म को उसी प्रकार सुरक्षा प्रदान करने और पंजीकृत करने का अधिकार रखता है जिस प्रकार प्रजनक अपनी किस्म को पंजीकृत कराकर सुरक्षा प्रदान करता है। कृषक किस्म को विद्यमान किस्म के रूप में भी पंजीकृत किया जा सकता है। कृषक को ब्रांड नाम को छोड़कर संरक्षित प्रजाति के बीजों सहित उनको बचाकर रखने, इस्तेमाल करने, बोने, पुनः उनकी बुवाई करने, आदान प्रदान करने, आपस में बांटने अथवा बेचने का अधिकार प्राप्त है।

(ख) लाभ में भागीदारी का अधिकार (अधिनियम की धारा 26): यह अधिकार, कृषकों के अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह अधिनियम नई किस्मों को विकसित करने के लिए प्रजनकों को पादप आनुवंशिक संसाधन (पीजीआर) प्रदान करने वाले किसानों सहित पादप प्रजनकों और कानूनी संस्थाओं को पंजीकृत किस्मों से प्राप्त होने वाले व्यवसायिक लाभ में से उसका उचित हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार दिलाता है।

(ग) किस्म व्यवसायीकरण के लिए पूर्व अनुमति देने का अधिकार (धारा 28 (6): जब किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा नई किस्म के विकास के लिए कृषक की नई या पुरानी किस्म का प्रयोग व्युत्पन्न किस्म के विकास के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है, तो कृषकों से इसके व्यवसायीकरण से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया किसानों को प्रजनक के साथ रॉयल्टी, लाभ के बंटवारे का प्राधिकरण और शर्तें प्रदान करती है।

(घ) उचित मूल्य पर बीज प्राप्त करने का अधिकार (धारा 47): कृषकों को पंजीकृत किस्मों के बीज उचित और लाभकारी मूल्य पर प्राप्त करने का अधिकार है। जब यह शर्त पूरी नहीं होती है, तो लाइसेंसिंग से संबंधित प्रावधान के तहत किस्म पर प्रजनक का सभी अधिकार निलंबित कर दिया जाता है, और प्रजनक एक सक्षम कानूनी इकाई को किस्म के बीज उत्पादन, वितरण और बिक्री का लाइसेंस देने के लिए बाध्य होता है। पौध किस्म संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किसानों के लिए उचित दर पर पर्याप्त बीज आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संरक्षित किस्मों के अनिवार्य लाइसेंस के प्रावधान हैं।

(ङ) क्षतिपूर्ति हेतु प्रावधानः अधिनियम की धारा 39 (2) के तहत कृषक अथवा कृषकों के समूह अथवा कृषकों के संगठन को अनुशंसित प्रबंधन शर्तों के तहत पंजीकृत बीज को उनके कृषि संबंधी प्रदर्शन की पूर्ण जानकारी के साथ बेचा जाना चाहिए। यदि अनुशंसित प्रबंधन शर्तों के तहत उक्त बीज अपेक्षित प्रदर्शन प्रदान करने में विफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में कृषक अथवा कृषकों के समूह अथवा कृषकों का संगठन, पीपीवी और एफआर अधिनियम 2001 के अंतर्गत